123

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1284–चार/98 विरूद्ध आदेश, दिनाक 12–6–96 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 183/91–92/निगरानी.

गोकुल सिंह पुत्र ज्ञान सिंह
निवासी ग्राम सगरा, तहसील व जिला भिण्ड म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1 मुस0 दुजा बेवा कुंवरपाल नाई
2 सियाराम पुत्र कुंवरपाल नाई
निवासीगण ग्राम सगरा, तहसील व जिला भिण्ड म0 प्र0

–अनावेदक

श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक की ओर से

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18.7.16 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 183/91–92/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12–6–96 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता गोकुल सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के समक्ष म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि पक्षकारों के मध्य प्रचलित प्रकरण कमांक 36/85–86/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 24–7–86 में आराजी कमांक 209 को काट कर 590 किया गया है, अतः प्रकरण में लिपिकीय भूल परिलक्षित होती है, जिसे पुनरावलोकन में लिया जाकर दुरूस्त किया जावे । अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 07/89–90/बी–121 पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 29–6–92 से निगरानीकर्ता द्वारा पुनरावलोकन आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–6–92 से परिवेदित होकर निगरानीकर्ता द्वारा एक निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण कमांक 183/91–92/निगरानी माल पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 12–6–96 से निगरानी निरस्त की गयी । परिणामतः निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।

3/ प्रकरण में निगरानी में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया ।

4/ अभिलेख के अवलोकन करने से यह तथ्य सामने आया है कि निगरानीकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के न्यायालय में संहिता की धारा 51 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुये यह अनुरोध किया गया है कि सर्वे कमांक 209 को काटकर अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड द्वारा अपने आदेश में सर्वे कमांक 590 किया गया है, जो अभिलेख से स्पष्ट भूल परिलक्षित होती है । अतः पुनरावलोकन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर हुई त्रुटि को दुरूस्त किया जावे । आदेश पारित किये जाने से पहिले अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड द्वारा उभयपक्षकारों को सुनकर यह निष्कर्ष निकाला कि सर्वे कमांक 209 भूल से लिख गया था जब कि विवाद सर्वे

कमांक 590 पर है, अतः यह लिपिकीय त्रुटि थी, जिसे दुरूस्त किया गया है । निगरानीकर्ता द्वारा संहिता की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया । निगरानीकर्ता गोकुलसिंह द्वारा उक्त आदेश को अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष चुनौती दी गयी, जिसे अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा विचाराधीन आदेश दिनांक 12–6–96 से अस्वीकार की गयी । निगकरानीकर्ता अभिभाषक द्वारा प्रकरण में मौखिक रूप से अथवा दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि खसरा कमांक 209 सही है अथवा 590 । इस संबंध में कोई प्रमाण अथवा खसरा आदि की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गयी है । ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड एवं अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा निकाले गये तथ्यों के आधार पर समवर्ती निष्कर्ष हैं और ऐसे समवर्ती निष्कर्षो को इस निगरानी प्रकरण में हस्तक्षेप किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड द्वारा पारित आदेश एवं अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने के कारण स्थिर रखे जाते हैं और प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर